दांडिक प्रकरण कमांक 1648/2022 **राज्य विरूद्ध शाहिद खान**

Witness No. ……..............**04**.............. for..……….....**अभियोजन साक्षी.**.....................Deposition taken

the **......14-03-2024**…........ day of.....**गुरूवार**…......Witness's apparent age **…........62 years ....**

States on affirmation............**शपथपूर्वक.**............may name is…...................**श्री आर.के.अनंत** ....

son/of **...................स्व. श्री दुबेराम अनंत**..........................Occupation ....**सहायक उपनिरीक्षक** ....

address...................................**आरक्षी केन्द्र राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव छ0ग0** ....

समय 12:40 बजे से

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा ए.डी.पी.ओ श्री निखिल सुषमाकर</u>

01. मैं वर्ष 2022 को थाना डोंगरगढ़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 07.06.2022 को हमराह स्टाफ के साथ जुर्म जरायन पाता साजी हेतु टाउन रवाना हुआ था कि मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई शाहिद खान अपने निवास स्थान इंदिरा नगर वार्ड नं. 05 डोंगरगढ़ में अवैध रूप से शराब बिकी करने हेतु रखा है। उक्त सूचना पर हमराह स्टॉफ के साथ घटना स्थल पहुंचकर मुखबीर पंचनामा की कार्यवाही कर गवाहो को 160 की नोटिस दी गई थी। धारा 160 द.प्र.सं नोटिस प्र.पी. 1 है तथा मुखबीर सूचना प्र.पी. 02 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

02. मेरे द्वारा संदेही की घेराबंदी कर संदेही के कब्जे से शराब बरामद किया गया था तथा संदेही को शराब रखने के संबंध में धारा 91 द.प्र.सं का नोटिस दिया था जो प्र.पी. 08 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है आरोपी ने मेर पास शराब बिकी करने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है लिखकर ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर किया। मेरे द्वारा आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी के अंदर 03 बोतल अंग्रेजी शराब को जप्त किया गया था। जप्ती पत्रक प्र.पी. 03 है, जिसके स से स भाग पर मेरे तथा द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

03. विवेचना के दौरान मैने गवाह देवराज रजक और अब्दुल रहिम का बयान लेखबद्ध किया था। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को गवाहों के समक्ष उसे गिरफ्तार पत्रक प्र.पी. 04 के मुताबिक विधिवत गिरफ्तार किया था जिसके स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। मैंने गवाहो के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी. 05 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने थाना आकर थाना डोंगरगढ़ के अपराध कमांक 441/2022 धारा 34 1 आबकारी अधिनियम के

अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 09 दर्ज किया था, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

04. मैं आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ को आरोपी के कब्जे से जप्तशुदा शराब मे से 04 पौवा शराब का परीक्षण कर नतीजे से अवगत कराने बाबत् तहर्रीर लिखा था, जो प्र.पी. 10 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा ब से ब भाग पर थाने का सीलनमूना अंकित है। थाना डोंगरगढ़ का नकल रोजनामचा सान्हा प्र.पी. 11 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा सुश्री छाया बंजारे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

05. यह कहना गलत है कि मुझे मुखबीर से कोई सूचना नहीं मिली थी। आरोपी को झूठे केस में फसाने के लिये झूठा मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया हूं। यह कहना गलत है कि मैंने साक्षीयो को कोई नोटिस नहीं दिया था। यह कहना सही है कि मैंने उक्त प्रकरण में देहाती नालीस नहीं बनाया था। यह कहना गलत है कि साक्षीयो के समक्ष आरोपी से मैंने कोई शराब जप्त नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैं घटना स्थल पर नहीं गया था। नजरी नक्शा थाने में बैठकर तैयार किया हूं। यह कहना सही है कि जप्त शराब को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हूं।

06. यह कहना सही है कि मैंने आरोपी के पास से किसी व्यक्ति को शराब विक्रय करते हुये नहीं देखा हूं। यह कहना गलत है कि मैं आरोपी से कोई शराब जप्त नहीं किया हूं। यह कहना गलत है कि स्वतंत्र साक्षी का कथन उनके बताये अनुसार न दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण बनाने के उद्देश्य से बढ़ा चढ़ा कर लिखा हूं। यह कहना गलत है कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला बनाया हूं।

समाप्ति समयः– 12:59

साक्षी को पढकर सुनाया गया। **मेरे निर्देश पर टंकित किया।**

सही होना स्वीकार किया।

गवाह के हस्ताक्षर

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़ (छ.ग.)

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़ (छ.ग.)